

25-9-24

आदेशानुसार पत्रावली में तारीख तब्दील की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 28.10.24 को पेश हो।

रीडर
राजस्व मण्डल राज.
अजमेर

जज. डी. शीमा, सदस्य

श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

28/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट व स्वयं अपीलान्ट को बार-बार रोक-रोक कर आवाज लगाई गई। काण्ड सूचना कोई उपस्थित नहीं है। अतः वकील अपीलान्ट व स्वयं अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण फावली अडम हाजरी व अडम चेदवी में खारिज की जाती है।

पत्रावली सेसलशुमार होकर बाइ कार्यवाही शरित्त उफर हो।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व मण्डल राज.
अजमेर

Signature
राजस्व मण्डल राज.
अजमेर